संख्या-79/2026/001/282/26-27-सिं0-9-24 भवन/26

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ, दिनांकः10 मार्च, 2026**

विषयः मऊ निरिक्षण गृह, पतौना निरीक्षण गृह व मऊ तार घर की सुरक्षा हेतु प्रीकास्ट बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-76/2026/001/282/26-27-सिं0-9-24 भवन/26 दिनांक-27-02-2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में **मऊ निरिक्षण गृह, पतौना निरीक्षण गृह व मऊ तार घर की सुरक्षा हेतु प्रीकास्ट बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की परियोजना** की अनुमोदित लागत रू0 83.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4700-97-051-10-14-24 राज्य वित्त पोषित परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था(नई) के **अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रू0 15000.00 लाख में से रू0 67.00 लाख (रू0 सड़सठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि में मुख्य अभियंता (शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 बरेली के स्थान पर त्रुटिवश मुख्य अभियंता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ अंकित हो गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-76/2026/001/282/26-27-सिं0-9-24 भवन/26 दिनांक 27-02-2026 की प्रतिलिपि में अंकित मुख्य अभियंता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियंता (शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 बरेली पढा जाय।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट/अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है